२४-९-२४ पत्रावली पेश हुई वकील वादी की एक तरफा बहस सुनी गई वकील वादी ने अपनी बहस मे फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। दावा स्वीकार किया जाता है, प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::— 35/2020

1. नारायण पिता दोला जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
2. मुकेश पिता दोला जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
3. कालीबाई पिता दोला पति पप्पूलाल जाति मीणा नि0लक्ष्मीपुरा पो. बस्सी तहसील व जिला चितौडगढ़
4. रतनीबाई पिता दोला पति श्यामलाल जाति मीणा निवासी दोलाजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. ठम्माबाई पति दोला जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. हेमा पिता चतुर्भुज जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगू
2. शंभुलाल पिता चतुर्भुज जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. शाखा प्रबंधक बून्दी चितौडगढ क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंदवाई तह0बेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री गोपाललाल गुरूजी
अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक :— 24.09.2024

निर्णय वाद अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह दावा पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प—खेडी पर रखाई गई। प्रकरण में वादीगण एव प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वादीगण की ओर से दावा अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि मौजा तेजपुर प0ह0 खेडी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त स्वामित्व एवं उपयोग उपभोग की कृषि आराजीयात निम्न प्रकार स्थित हैः—

खतौनी संख्या 110 सम्वत 2073 से 2076 तक में

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
352	0.3100
354	0.2800
355	0.0200
356	0.3200
393	0.0700
404	0.7100
405	0.4400
406	0.1900
416	0.2200
418	0.3200
456	1.8000
कुल कीता—11	4.6800हैक्टर

उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 2/3 निहित होकर इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है,यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत कृषि आराजीयात का विभाजन नहीं होने से आए दिन हिस्से एवं लगान को लेकर विवाद होता रहता है, जिसके स्थाई समाधान हेतु वादीगण द्वारा दिनांक 15.05.2020 को प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार किया जाने से वादीगण को यह वाद लाने की आवश्यकता हुई है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौड़गढ़)

वाद कारण दिनांक 15.05.2020 से उत्पन्न होकर प्रतिदिन वर्तमान है। यह कि वाद विभाजन के [illegible] भूमिधारी जी आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया है साथ [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा बैंक के रहन होने से प्रतिवादी संख्या 4 के रूप बैंक को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। वर्णित कृषि आराजीयात श्रीमान के क्षैत्राधिकार में होने से आपके श्रवणाधिकार का होने से वाद वास्ते विभाजन कृषि आराजीयात हेतु प्रस्तुत है।

यह कि वादीगण न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करते है कि :—

1— कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित खतौनी सं. 110 में वर्णित आराजीयात में वादीगण का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का निहित हक हिस्सा 2/3 हिस्सा का मौके पर स्थित कब्जा अनुसार या हक हिस्सानुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मौके पर व राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने की डिकी वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रदान कराई जावें।

2— कि वाद व्यय व अधिवक्ता शुल्क आदि वादीगण को प्रतिवादीगण दिलाया जावें।

3— कि व अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ हो वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

उपरोक्त वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रर्जिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरणमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही आदेश दिये गये जबकि प्रतिवादी संख्या 3 भूमिधारी दावा 53 राज0काश्त0अधि0 के प्रकरण में फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाबदावा नहीं लिया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण में विचाराधीन थी, पत्रावली को निस्तारण हेतु प्रशासन गॉवों के संग अभियान कैम्प खेडी पर रखाया जाकर प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पुनः कैम्प में उपस्थित रहने हेतु सम्मन दिये जाने पर प्रकरण में वादी नारायण व प्रतिवादी शंभुलाल उपस्थित आए तथा अपने बयान कलमबद्ध करा निवेदन किया कि आराजी का बंटवाडा नियमानुसार किया जावें।

पत्रावली में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के बयान लिये जाने के उपरान्त हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादीगण का हिस्सा 1/3 व प्रतिवादी सं. 1 व 2 का हिस्सा 2/3 अंकित है, वादीगण अपने हिस्से को पृथक कराने का अधिकार रखते है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिकी किया जाता है। मौजा तैजपुर की आराजी संख्या 352, 354, 355, 356, 393, 404, 405, 406, 416, 418, 456 कुल किता—11 कुल रकबा 4.6800 हैक्टर भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 2/3 जमाबंदी अनुसार कृषि आराजीयात का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर कब्जे अनुसार एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार आराजीयात का विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 1000/—रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिकी जारी कर प्राथमिक डिकी की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को भिजवाते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस दो प्रति में तलब किये जाने हेतु लिखा जावें।

उक्त प्राथमिक डिकी की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक 4156 दिनांक 09.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1— श्री नारायण, मुकेश, काली ना. बा. व. वि. पिता दोला सरक्षंक माता टमाबाई पत्नी दोला मीणा सा. देह खातेदार

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
354	0.28	चाही ।।	7.81
355	0.02	बीड	0.05
405	0.18	चाही ।।	5.02
406	0.07	बीड	0.18
404	0.24	चाही ।।	6.70
416	0.11	बीड	0.27
418	0.06	बीड	0.15
456	0.59	बीड	1.47
कीता– 08	1.55 हैक्टर		21.65

2– शामलाती

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
456	0.03	बीड	0.09
कीता– 01	0.03 हैक्टर		0.09

3– शंम्भू पिता चतरभुज मीणा सा. देह खातेदार रहन बी. आर. के. जी. बी. शाखा नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
356	0.32	चाही ।।	8.93
404	0.24	––	6.70
405	0.04	जाव ।।	0.54
406	0.12	बीड	0.30
456	0.59	बीड	1.47
393	0.07	बीड	0.18
405	0.18	जाव ।।	2.46
कीता– 07	1.56 हैक्टर		20.58

4– हेमा पिता चतरभुज मीणा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
352	0.31	चाही ।।	8.37
		जाव ।।	0.14
404	0.23	चाही ।।	0.41
405	0.04	जाव ।।	0.54
416	0.11	बीड	0.28
418	0.26	बीड	0.65
456	0.59	बीड	1.47
कीता– 06	1.54 हैक्टर		17.86

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

मूल वाद मे अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या ::– 35/2020

1. नारायण पिता दोला जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
2. मुकेश पिता दोला जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
3. कालीबाई पिता दोला पति पप्पूलाल जाति मीणा नि0लक्ष्मीपुरा पो. बस्सी तहसील व जिला चितौडगढ़
4. रतनीबाई पिता दोला पति श्यामलाल जाति मीणा निवासी दोलाजी का खेडा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
5. ठम्माबाई पति दोला जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ

वादीगण

बनाम

1. हेमा पिता चतुर्भुज जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगू
2. शंभुलाल पिता चतुर्भुज जाति मीणा निवासी तेजपुर तह0 बेगूँ
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
4. शाखा प्रबंधक बून्दी चितौडगढ क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंदवाई तह0बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गोपाल लाल गुरूजी द्वारा प्रस्तुत किये जाने एवं प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता .... की उपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 24.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा तेजपुर पटवार हल्का खेडी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

1– श्री नारायण, मुकेश, काली ना. बा. व. वि. पिता दोला सरक्षंक माता टमाबाई पत्नी दोला मीणा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
354	0.28	चाही।।	7.81
355	0.02	बीड	0.05
405	0.18	चाही।।	5.02
406	0.07	बीड	0.18
404	0.24	चाही।।	6.70
416	0.11	बीड	0.27
418	0.06	बीड	0.15
456	0.59	बीड	1.47
कीता– 08	1.55 हैक्टर		21.65

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

शामलाती

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
456	0.03	बीड	0.09
कीता– 01	0.03 हैक्टर		0.09

3– शंम्भू पिता चतरभुज मीणा सा. देह खातेदार रहन बी. आर. के. जी. बी. शाखा नन्दवाई

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
356	0.32	चाही II	8.93
404	0.24	——	6.70
405	0.04	जाव II	0.54
406	0.12	बीड	0.30
456	0.59	बीड	1:47
393	0.07	बीड	0.18
405	0.18	जाव II	2.46
कीता– 07	1.56 हैक्टर		20.58

4– हेमा पिता चतरभुज मीणा सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
352	0.31	चाही II	8.37
		जाव II	0.14
404	0.23	चाही II	0.41
405	0.04	जाव II	0.54
416	0.11	बीड	0.28
418	0.26	बीड	0.65
456	0.59	बीड	1.47
कीता– 06	1.54 हैक्टर		17.86

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मतस्वी नरेश)
(सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 485 दिनांक :– 26.9.24

दावा संख्या 35 / 2020 व अनवान नारायण बनाम हेमा व अन्य अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़)